

INDEX**STARRED QUESTION NO. *22****LISTED ON 18.12.2023**

| Sr. No. | Particulars | Page No. |
|----------------|---|-----------------|
| 1 | Reply of Starred Question No. *22 (in English) | 1 |
| 2 | Note for pad (in English) | 2-4 |
| 3 | Reply of Starred Question No. *22 (in Hindi) | 5 |
| 4 | Note for pad (in Hindi) | 6-8 |

TO REGULARIZE THE GUEST TEACHERS

***22 SH. SURENDER PANWAR (SONIPAT) :-**

Will the School Education Minister be pleased to state:-

- a) whether there is any proposal under consideration of the Government to regularize the services of Guest Teachers working in Government Schools in the State; and
- b) if so, the time by which the services of the above said Guest Teachers are likely to be regularized?

REPLY

SH. KANWAR PAL, SCHOOL EDUCATION MINISTER, HARYANA

- a) Sir, Guest Teachers are covered under the Haryana Guest Teachers Service Act, 2019. Under the Act, Guest Teachers already working as such shall continue to work in the Department till the age of Superannuation notwithstanding their mode or manner of appointment and length of service rendered on the date of commencement of this Act.
- b) In view of 'a' above, question doesn't arise.

NOTE FOR PAD

- Initially the Guest Teachers were engaged on agreement basis in the year of 2005 for a specific period i.e. as per the requirement or till the arrival of regular teacher against a sanctioned vacant posts and the remuneration of Guest Teachers was fixed on period basis i.e. Rs. 50/- per period to Hindi/Sanskrit/Punjabi Teachers, Rs. 45/- per period to PTI/ Drawing Teachers, Rs. 55/- per period to Master and Rs. 80/- per period to Lecturers. Thereafter, their agreements were renewed on need basis and remuneration was enhanced time to time.
- Vide order No. 15/59-2005 Co.(4) dated 02.03.2009, the Government has decided that the Guest Teachers will continue on contract basis for a period of one year instead of agreement basis meaning thereby that the Guest Teachers be treated as contractual employees from 1st April, 2009 and their remuneration has been fixed on monthly basis i.e. Rs. 11,000/- per month for JBT, Drawing Teachers, Hindi Teachers, Sanskrit Teachers, Punjabi Teachers and Masters as well as Rs. 13,500/- per month for Lecturers. Thereafter, their contract has been extended year to year basis and remuneration has also been enhanced time-to-time.
- Vide notification dated 12th March, 2019, the Haryana Guest Teachers Service Act, 2019 has been notified by the Government which is under challenge in CWP No. 8727 of 2019 titled as Rajesh

Pal and Others Vs. State of Haryana and Others and the same is fixed for hearing before the Hon'ble Punjab & Haryana High Court for 23rd January, 2024. The services of the Guest Teachers working in the Government Schools of the State are governed under the said Act i.e. 'Haryana Guest Teacher Services Act, 2019'. Provision has already been made in the Haryana Guest Teachers Service Act, 2019 that the Guest Teachers shall be continue to work in the Department till the age of Superannuation i.e. up to the age of 58 years, however, there is no any provision under the Guest Teachers Service Act, 2019 to regularize the services of the Guest Teachers. The Haryana Guest Teachers Service Act, 2019 was notified vide notification dated 12th March, 2019 and the remuneration of the Guest Teachers as on 01.01.2019 was as under:-

| Sr. No. | Designation | Remuneration as on 01.01.2019 |
|----------------|--------------------------------|--|
| 1. | Post Graduate Teacher (PGT) | 36,000/- |
| 2. | Trained Graduate Teacher (TGT) | 30,000/- |
| 3. | Primary Teacher (PRT) | 26,000/- |

Thereafter, the consolidated monthly honorarium of Guest Teachers is increased with effect from first day of January and first day of July every year in the same proportion as the Dearness Allowance granted by the Govt. to regular employees but such consolidated honorarium shall not exceed the minimum of the pay scale (at the lowest grade, in the regular pay scale) as provided in the Haryana Guest Teachers Service Act, 2019.

- The designation wise detail of Guest Teachers working in the Government Schools of the State is as under:-

| Sr. No. | Designation | Number of Guest Teachers |
|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Post Graduate Teacher (PGT) | 1637 |
| 2. | Trained Graduate Teacher (TGT) | 5069 |
| 3. | Primary Teacher (PRT) | 5083 |
| Total Guest Teachers working in the Government Schools of the State | | 11789 |

- Decision has already been taken by the Government to frame the Service Rules of the Guest Teachers and the matter to frame service rules for guest teachers is under active consideration of the government.
- The benefit of Leave Travel Concession (LTC) has also been granted to the Guest Teachers working in the Government Schools of the State vide memo No. 15/36-2017 Co(2) dated 22.06.2023.

अतिथि अध्यापकों को नियमित करना

*22

श्री सुरेन्द्र पंवार (सोनीपत) :

क्या स्कूल शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) क्या राज्य में राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों की सेवाएं नियमित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; तथा

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त अतिथि अध्यापकों की सेवाएं कब तक नियमित किए जाने की संभावना है ?

उत्तर

श्री कंवर पाल, स्कूल शिक्षा मंत्री, हरियाणा

(क) श्रीमान जी, अतिथि अध्यापकों की सेवाएं हरियाणा अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम, 2019 के तहत कवर की गई है। अधिनियम के अनुसार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि के पूर्व से कार्यरत अतिथि अध्यापक सेवानिवृत्ति की आयु तक विभाग में कार्यरत रहेंगे, भले ही उनकी नियुक्ति का तरीका या सेवा की अवधि कुछ भी हो।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नोट फॉर पैड

- प्रारंभ में अतिथि शिक्षकों को वर्ष 2005 में एक विशिष्ट अवधि के लिए यानी आवश्यकता के अनुसार या स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित शिक्षक के आने तक समझौते के आधार पर नियुक्त किया गया था और अतिथि शिक्षकों का मानदेय पीरियड के आधार पर तय किया गया था। हिंदी/संस्कृत /पंजाबी शिक्षकों हेतु 50/- रुपये प्रति पीरियड, पी0टी0आई0/ड्राईंग शिक्षकों हेतु 45/- रुपये प्रति पीरियड, मास्टर हेतु 55/- रुपये प्रति पीरियड और प्राध्यापकों हेतु 80/- रुपये प्रति पीरियड मानदेय निर्धारित किया गया था। इसके बाद, उनके समझौतों को आवश्यकता के आधार पर नवीनीकृत करते हुए समय-समय पर मानदेय बढ़ाया गया।
- यादी क्रमांक नं0 15/59-2005 तम (4) दिनांक 02.03.2009 अनुसार सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि अतिथि अध्यापकों के समझौते को एक वर्ष की अवधि के अनुबंध में परिवर्तित कर दिया जाये, जिसका अर्थ है कि अतिथि अध्यापकों को 1 अप्रैल, 2009 से अनुबंधित शिक्षक माना जाएगा और उनका मानदेय भी मासिक आधार पर तय कर दिया गया। जे0बी0टी0, कलां अध्यापक, हिन्दी अध्यापक, संस्कृत अध्यापक, पंजाबी अध्यापक और मास्टर्स के लिए 11,000/- रुपये प्रति माह व प्राध्यापक के लिए 13,500/- रुपये प्रति माह मानदेय निर्धारित किया गया। उसके पश्चात्, अतिथि अध्यापकों के अनुबंध को साल-दर-साल बढ़ाया गया है और समय-समय पर उनका मानदेय भी बढ़ाया गया।

- हिदायतें दिनांक 12.03.2019 के अनुसार सरकार द्वारा हरियाणा अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम, 2019 अधिसूचित किया गया, जिसे वर्ष 2019 की याचिका क्रमांक 8727 – राजेश पाल व अन्य बनाम हरियाणा सरकार व अन्य अनुसार माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायलय, चण्डीगढ़ में चुनौती दी गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायलय द्वारा सुनवाई हेतु तिथि 23 जनवरी, 2024 निर्धारित की गई है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों की सेवाएं उक्त अधिनियम के तहत शासित होती हैं। हरियाणा अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम, 2019 में प्रावधान किया गया है कि पहले से कार्यरत अतिथि अध्यापक सेवानिवृत्ति आयु यानी 58 वर्ष की आयु तक विभाग में कार्यरत रहेंगे, जबकि, अतिथि अध्यापकों की सेवाओं को नियमित करने के सम्बंध में हरियाणा अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम, 2019 में कोई प्रावधान नहीं है। हरियाणा अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम, 2019 दिनांक 12 मार्च, 2019 को अधिसूचित किया गया था तथा दिनांक 01.01.2019 से अतिथि अध्यापकों का मानदेय निम्नानुसार निर्धारित किया गया :-

| क्रमांक | पद | दिनांक 01.01.2019 से मानदेय |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1 | पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पी0जी0टी0) | 36,000 /— |
| 2 | ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर (टी0जी0टी0) | 30,000 /— |
| 3 | प्राइमरी टीचर (पी0आर0टी0) | 26,000 /— |

इसके उपरांत, हरियाणा अतिथि अध्यापक सेवा अधिनियम, 2019 में किये गये प्रावधान अनुसार अतिथि अध्यापकों का समेकित मासिक मानदेय सरकार द्वारा नियमित कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते के समरूप उसी अनुपात में प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन और जुलाई के प्रथम दिन से

बढ़ाया जाता है तथा ऐसा समेकित मानदेय विभाग के तत्समान नियमित अध्यापकों को दिए गए न्यूनतम वेतनमान (नियमित वेतनमान में निम्नतम ग्रेड) से अधिक नहीं होगा।

- राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों का पदवार विवरण इस प्रकार है:—

| क्रमांक | पद | अतिथि अध्यापको की संख्या |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पी०जी०टी०) | 1637 |
| 2 | ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर (टी०जी०टी०) | 5069 |
| 3 | प्राइमरी टीचर (पी०आर०टी०) | 5083 |
| राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत कुल अतिथि अध्यापक | | 11789 |

- अतिथि अध्यापकों के सेवा नियम बनाने का निर्णय सरकार द्वारा पहले ही लिया जा चुका है तथा अतिथि अध्यापकों की सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया सरकार के विचाराधीन है।
- राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों को एल०टी०सी० का लाभ विभाग के यादी क्रमांक नं० 15/36-2017 तम (2) दिनांक 22.06.2023, अनुसार दिया जा चुका है।
